

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।

'प्रयोगशाला तकनीशियन' के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2401 दिनांक-18.07.2007 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य के मद्य जाँच प्रयोगशालाओं हेतु प्रयोगशाला तकनीशियन के आठ स्वीकृत पदों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार योग्य अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक-16.08.2016 के 5:00 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. प्रयोगशाला तकनीशियन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0, रसायन शास्त्र (प्रतिष्ठा) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्णता है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमानता दिया जायेगा।
2. अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की तिथि को 64 वर्ष होगी।
3. संविदा अवधि प्रथम चरण के लिए एक वर्ष की होगी, जिसे एक वर्ष के पश्चात् आवश्यकता एवं सेवा संतोषजनक होने के आधार पर पुनः अनुबंधित किया जाएगा। यदि संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2401 दिनांक-18.07.2007 के आलोक में एतदर्थ गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
5. चयन का आधार:- प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग कर तैयार पैनल के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा Walk-in-Interview के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन करते समय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।
6. आवेदन भरने की प्रक्रिया:- आवेदन का प्रपत्र निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट- www.excise.bih.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्रपत्र साफ-साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से "आयुक्त उत्पाद, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रथम तल, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, पिन-800015" के पता पर प्रेषित किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि "मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला किसी थाना/न्यायालय में दर्ज नहीं है।"
8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में विनियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
9. यह बिल्कुल अस्थायी एवं अल्पकालिक व्यवस्था है। विभागीय चयन समिति, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकता है।


सरकार के विशेष सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
बिहार, पटना।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।

प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदित पद का नाम :-.....

1. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :-
- आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
2. पिता/ पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. लिंग :-
5. आरक्षण कोटि :-
6. शैक्षणिक योग्यता :-
7. कार्य अनुभव :-
8. पत्राचार का पता :-
9. स्थायी पता :-
10. फोन नं०/मोबाईल नं० :-
11. ई-मेल :-



निःशक्त :- हाँ/नहीं

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर